

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2019 (राजसमन्द आर्डर)

हेमेन्द्रसिंह पिता श्री राजेन्द्रसिंह रावत, निवासी पंटवटी, हाल  
नन्दावट, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध  
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द  
दिनांक 19.04.2018 प्र.सं. 21/2017

--- / ---

उपस्थित (वक्त बहस) 1- श्री कल्पित जैन अभिभाषक अपीलान्त  
2- श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

-----::-----

निर्णय

दिनांक

24-05-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का टोगी ने तहसीलदार भीम के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम टोगी स्थित आराजी नंबर 1817 रकबा 0.00.03 किस्म मगरी भूमि पर विपक्षी हेमेन्द्रसिंह द्वारा नया निर्माण (दुकान) कर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा विपक्षीगण को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा अपने प्रकरण संख्या 393/2017 दिनांक 02-11-2017 से अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

तहत कार्यवाही करते हुए विपक्षी को अतिकमी मानते हुए तत्काल बेखल कर मौके से निर्माण (दुकान) को ध्वस्त करने के आदेश दिये।

तहसीलदार भीम के उक्त निर्णय दिनांक 02-11-2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 19-04-2018 से अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 14-01-2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18-12-2018 को सत्य प्रति प्राप्त करने पर हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में एवं उन्हें सुनकर उक्त निर्णय पारित किया है, तदनुसार प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अपील अपीलान्ट स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की। वही राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को

सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है तथा निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जल्दबाजी में पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की अनदेखी की है कि अपीलान्ट का कब्जा लम्बे समय से है तथा सिवायचक भूमि के संबंध में नियमन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में तहसीलदार भीम द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 26-10-2011 एवं दिनांक 02-11-2017 के लिए दो बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीम ने अपने निर्णय दिनांक 02-11-2017 से अपीलान्ट के बिरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करते हुए निर्माण (दुकान) को ध्वस्त करने का जो आदेश दिया है, उसे हम विधि सम्मत पाते हैं तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा भी अपीलान्ट को विधिवत सुनकर अपीलान्ट द्वारा नियमन संबंधी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उसे अतिकमी मानते हुए उसकी प्रथम अपील खारिज की है, जो भी विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 19-04-2018 एवं तहसीलदार भीम का निर्णय दिनांक 02-11-2017 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 24-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील  
अधिकारी  
उदयपुर

